

उनवान:- रामवीर बगै० बनाम बनी बगै०
 प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
09.07.2025	<p>प्रार्थी की और से श्री विजय भारती एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 18/8/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित हाथामी ब०। कमाण्ड 7 की जोर से श्री पन्डे शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने के लिए हाजिर मोका दिया गया वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 24/9/25 को पेश हो।</p>
24.09.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी ब०। कमाण्ड 7 की जोर से श्री पन्डे शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया वकालतनामा दिनांक 12.11.25 को पेश हो।</p>
12.11.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमर पन्कारण उपस्थित। पत्रावली वकालतनामा दिनांक 21.11.25 को पेश हो।</p> <p>वकील/वकील उमर पन्कारण प्रार्थी वकील/वकील उमर पन्कारण प्रार्थी वकील/वकील उमर पन्कारण पत्रावली गतानुसार दिनांक..... को पेश हो।</p>

18/8/25

3432-39

1017/25

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहवनाम
<p>28/11/25</p> <p>Not pres</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>28/11/25</p>	<p>पन्नावली पेय दुर्गा क्लीव उन्मपलवारण उप० वादी गण क्लीव ने निवेदन किया कि इस उक्त मुकदमे को जही पलान्य पाछे है तथा सकगी हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किया प्राप्ति क्लीव ने उक्त प्रकार को नोट फेल में शरिफ करने हेतु निवेदन किया किने सीनार किये जाकर वादी का वाद पत्र नोट प्रेस में शरिफ किया जाता है।</p> <p>पन्नावली पैलान्य शुमार होकर नखर ले कर कर दाखिल शमतर हो</p> <p><i>[Signature]</i></p>